scpcr.uk

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

Uttarakhand Commission For Protection Of Child Rights

(संसद द्वारा पारित कानून सीपीसीआर 2005 के अंतर्गत)

(Under the act CPCR 2005 passed by parliament)

पत्रांक 797 /SCPCR.UK/ 2022-23 दिनांक: 01 अगस्त, 2022

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

Expession of Interest (EOI)

के लिए

बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्यान्वयन और अनुसंधान के लिए प्रासंगिक संस्थाओं और विशेषज्ञों को शामिल करना

उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बाल अधिकार और बाल संरक्षण के कार्यान्वयन और अनुसंधान के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली प्रासंगिक संस्थाओं, व्यक्तिगत विशेषज्ञों, संस्थाओं और संगठनों को शामिल करने का प्रस्ताव किया जाना है।

आमंत्रित ई0ओ0आई0 की विस्तृत जानकारी/दस्तावेज उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग की वेबसाईट http://www.scpcruk.org.in पर उपलब्ध है।

ई0ओ0आई0 जमा करने की अंतिम तिथि: 16-08-2022 अपराह्न 02:00 बजे।

पता:- सचिव
उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
नंदा की चौकी, विकासनगर रोड, देहरादून
उत्तराखंड-248007।
टेलीफैक्स 01352972450 ईमेलआईडी:scpcr.uk@gmail.com
वेबसाइट: www.scpcruk.org.in

(डॉ0 रोशनी सती)
अनु सचिव

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआईओ)

के लिये

बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्यान्वयन और अनुसंधान के लिए प्रासंगिक संस्थाओं और विशेषज्ञों को नियुक्त करना

1।पृष्ठभूमि

1.1. यूकेसीपीसीआर की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (दिसंबर 2005) के तहत की गई थी। आयोग का जनादेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.2. प्रस्तावित जुड़ाव के लिए यूकेसीपीसीआर के प्रमुख उद्देश्य हैं: -

(ए) उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और योग्यता में अंतराल की प्रकृति और परिमाण को स्थापित कर के बाल संरक्षण पर प्रत्येक जिले में एक व्यापक आवश्यकता मूल्यांकन का संचालन करना।

(बी) बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना।

(सी) आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलूहिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण, अश्लील साहित्य और वेश्या वृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों के आनंद को बाधित करने वाले सभी कार कों की जांच करना और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

(डी) विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों को देखना, जिनमें संकट ग्रस्त बच्चे, हाशिए पर रहने वाले और वंचित बच्चे, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, किशोर, बिना परिवार के बच्चे और कैदियों के बच्चे शामिल हैं और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं।

(ई) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध माध्यमों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना;

(च) बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।

(छ) पहचाने गए अंतराल को पाटने के लिए आवश्यक उपायों का निर्धारण करना, जिसमें आवश्यक सेवा वितरण तंत्र की सिफारिश, संरचनाएं, आवश्यक विशेषज्ञता, प्रशिक्षण का स्तर, प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

2. प्रासंगिक संस्थाओं की प्रस्तावित नियुक्ति

2.1. यूकेसीपीसीआर बाल अधिकार और बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली प्रासंगिक संस्थाओं ("आवेदक") को अपने उद्देश्यों और जनादेश की उपलब्धि में सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है: -

(ए) आवेदक भारत में फर्म / सोसाइटी / ट्रस्ट / एनजीओ / कंपनी के रूप में पंजीकृत एक संस्था, व्यक्तिया संस्थान या संगठन होना चाहिए और भारत में पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय से अस्तित्व में होना चाहिए। आवेदक को आवेदन के साथ संबंधित निगमन का प्रासांगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(बी) आवेदक के पास बाल अधिकार और बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन या अनुसंधान का पिछले 5 वर्षो का अनुभव होना चाहिए।

(सी) आवेदक को जुड़ाव के विशिष्ट क्षेत्र में कम से कम 3 साल का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए।

2.2. यूकेसीपीसीआर में निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में एजेंसियों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है: -

(ए) बाल अधिकारों और बाल संरक्षण और संबंधित कृत्यों के विभिन्न पहलुओं के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यशालाओं के आयोजन में यूकेसीपीसीआर का आयोजन या सहायता करना।

(बी) बाल अधिकार और बाल संरक्षण गतिविधियों और सभी संबंधित अधिनियमों के कार्यान्वयन और प्रभाव पर अनुसंधान करना।

(सी) 1.2 में उल्लिखित प्रमुख अधिदेशों और उद्देश्यों के लिए विभिन्न अनुसंधान, सर्वेक्षण और अध्ययन करना।

3. आवेदन की प्रक्रिया

3.1. आवेदकों को एनजी ओकॉर्नर विकल्प (यूआरएल: http://scpcruk.org.in/NGOCorner.aspx) के तहत यूकेसीपीसीआर वेबसाइट पर अपने विवरण, अनुभव की जानकारी और जुड़ाव के विशिष्ट क्षेत्र में EOI जमा करनी होगी।

3.2. यूकेसीपीसीआर प्रासंगिक अनुभव के आधार पर आवेदनों की स्कीनिंग / जांच करेगा और विस्तृत प्रस्तुतियों और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों को आमंत्रित करेगा। यूकेसीपीसीआर, असाधारण परिस्थितियों में, और अपने विवेकाधिकार पर, सभी आवेदकों के लिए समान रूप से एक परिशिष्ट जारी करके आवेदन की देय तिथि बढ़ा सकता है।

4. जमा करने की अंतिम तिथि

4.1. आवेदन 16-08-2022 को 1400 घंटे IST से पहले जमा किए जाने चाहिए।

4.2. आवेदन की देय तिथि और समय के बाद प्राप्त कोई भी आवेदन यूकेसीपीसीआर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की देय तिथि के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

4.3. संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें

डॉ0 रोशनी सती
सचिव
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
फोन/फैक्सनंबर: 0135- 2972450
मोबाइल नहीं है ई-मेलआईडी- scpcr.uk@gmail.com6. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि --------

scpcr.uk

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

Uttarakhand Commission For Protection Of Child Rights

(संसद द्वारा पारित कानून सीपीसीआर 2005 के अंतर्गत)

(Under the act CPCR 2005 passed by parliament)

पत्रांक 797 /SCPCR.UK/ 2022-23 दिनांकः 01 अगस्त, 2022

UTTARAKHAND COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIHGTS
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
FOR
ENGAGING RELEVANT ENTITIES AND EXPERTS FOR IMPLEMENTATION AND RESEARCH ON ISSUES OF CHILD RIGHTS AND CHILD PROTECTION

Uttarakhand State Commission For Protection of Child Rights proposes to engage relevant entities, Individual experts, Institutes and organizations havings minimum 5 Year experience in the field of child rights and child protection Implementation and Research as per Government of India Guidelines.

Detailed Expression of Interest document is available for download at

Last Date of Submission of EOI: 16-08-2022 at 02:00 p.m.

Address:-

Secretary
Uttarakhand State Commission for Protection of Child Right
Nanda ki Chowki, Vikas Nagar Road, Dehradun
Uttarakhand-248007.
Telefax 0135–2972450, **Email Id:**
Website:

(Dr. Roshani Sati)
Under Secretary

UTTARAKHAND COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIHGTS
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
FOR
ENGAGING RELEVANT ENTITIES EAND EXPERTS FOR IMPLEMENTATION AND RESEARCH ON ISSUES OF CHILD RIGHTS AND CHILD PROTECTION

1. Background

1.1. The UKCPCR was set up under the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005, an Act passed by Parliament (December 2005). The Commission's mandate is to ensure that all Laws, Policies, Programs, and Administrative Mechanisms are in consonance with the Child Rights perspective as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child. The Child is defined as a person in the 0 to 18 years age group.

1.2. UKCPCR's key objectives for proposed engagement are :-

(a) Conduct a comprehensive need assessment in each district, on child protection by establishing the nature and magnitude of the gaps in knowledge, skills, aptitudes and attitudes of the existing child protection services in each district of Uttarakhand.

(b) Examine and review the safeguards provided by or under any law for the time being in force for the protection of child rights and recommend measures for their effective implementation.

(c) Examine all factors that inhibit the enjoyment of rights of children affected by terrorism, communal violence, riots, natural disaster, domestic violence, HIV/AIDS, trafficking, maltreatment, torture and exploitation, pornography and prostitution and recommend appropriate remedial measures.

(d) Look into the matters relating to children in need of special care and protection including children in distress, marginalized and disadvantaged children, children in conflict with law, juveniles, children without family and children of prisoners and recommend appropriate remedial measures.

(e) Spread child rights literacy among various sections of the society and promote awareness of the safeguards available for protection of these rights through publications, the media, seminars and other available means;

(f) Undertake and promote research in the field of child rights.

(g) Determine the measures required to bridge the identified gaps, which may include, but not limited to, recommendation of the required service delivery mechanism, structures, required expertise, the level of training, training institutions, etc.

2. Proposed Engagement of Relevant Entities

2.1. UKCPCR invites relevant entities ("The Applicant") working in the field of Child Rights and Child Protection to assist in achievement of its objectives and mandates :-

(a) The Applicant should be an entity, individual or institute or organization registered as Firm/Society/Trust/NGO/Company in India and in existence for the last 5 years or more in India. The Applicant shall submit relevant certificate of incorporation along with the Application.

(b) The applicant should have past 5 years experience of program implementation or research on issues of Child Rights and Child Protection.

(c) The Applicant should have relevant experience of at least 3 years in the specific field of engagement.

2.2. UKCPCR envisages the engagement of agencies in following specific fields of engagement :-

(a) Organizing or Assisting UKCPCR in organizing State Level and District Level workshops for various aspects of Child Rights and Child Protection and related acts.

(b) Undertaking Research on implementation & impact of Child Rights and Child Protection Activities and all related acts.

(c) Undertaking various research, surveys & studies for key mandates and objectives mentioned at 1.2.

3. Process of Application

3.1. Applicants must submit their details, experience information and interest in specific field of engagement at UKCPCR website under NGO Corner option (URL :)

3.2. UKCPCR shall screen the applications based on relevant experience and invite shortlisted Applicants for detailed presentation and proposal submission. UKCPCR may, in exceptional circumstances, and at its sole discretion, extend the Application Due Date by issuing an Addendum uniformly for all Applicants.

4. Last Date of Submission

4.1. Applications should be submitted before 1400 hours IST on 16-18-2022.

4.2. Any Application received after the Application Due Date and time shall not be accepted by UKCPCR. Any such Application received after the Application Due Date shall be summarily rejected and returned unopened.

4.3 It will be mandatory to submit the registration Certificate by the organization by attaching Pan Card and GST Certificate.

5. Contact for Clarification

Dr. Roshani Sati
Under Secretary
Uttarakhand Commission for Protection of Child Rights.
Ph./ Fax No: **0135- 2972450**
Mobile No :
E-mail id-

6. Proposal Presentation date - --------